



2026:AHC:48605

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-7589 सन् 2026

दिगंबर सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 14 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रीतम दास

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी, कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया**

1-कुछ समय तक बहस होने के उपरांत, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को इस प्रार्थना के साथ वापस लेने (निरस्त किए जाने) का निवेदन किया गया कि उन्हें प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी, खैर, जनपद अलीगढ़ के समक्ष उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2-प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

3-तदनुसार, वर्तमान याचिका को उक्त प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, वापस ली गई मानते हुए निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

10 मार्च, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।